



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)  
**NAAC Accreditation- "A" Grade**

**प्रो. कृष्ण कुमार सिंह**

**Prof. Krishna Kumar Singh**

कार्यकारी कुलसचिव/Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फैक्स / Fax: +91-7152-2309

पत्रांक : 005/2015/AT (AC)/2019/365

दिनांक : 22.04.2019

## कार्यालय आदेश

विद्या-परिषद की दिनांक 04.03.2019 को सम्पन्न 29वीं बैठक में मद संख्या 12 एवं मद संख्या 13 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के आलोक में कोलकाता तथा इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्रों को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 05 (II) के प्रावधान के अनुसार हिंदी के शोध एवं प्रचार के विशेष केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया जाता है। कोलकाता एवं इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्रों पर संचालित सभी पाठ्यक्रमों को स्थगित करने तथा पिछले सत्रों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को उनका पाठ्यक्रम जुलाई 2019 के सत्र में पूरा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह आदेश सक्षम निकाय में अनुमोदन के पश्चात जारी किया जाता है।

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. वित्त अधिकारी कार्यालय।
4. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता।
5. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद।
6. विश्वविद्यालय के समस्त विद्यापीठ, विभाग एवं केंद्र।
7. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
8. सहायक कुलसचिव (स्थापना)।
9. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
10. संबंधित फाइल